कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत सांचोर, जिला जालोर।

क्रमांक/सी0ओ0/सांचोर/2018/ 3152 दिनांक 4.11.2018

सेवामें,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला जालोर।

विषय:- राजस्थान पत्रिका दिनांक 24.102018 में प्रकाशित समाचार शीर्षक "नशे के अवैध कारोबार की वजह से ही जिंदा हाईवें की होटलें और ढाबें" व सीएम हेल्प लाईन 181 पर दर्ज परिवाद द्वारा ज्ञानेश कुमार के संबंध में रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान के पत्र क्रमांक 6893 दिनांक 24.10.2018 व सीएम हेल्प लाईन परिवाद द्वारा ज्ञानेश कुमार के सन्दर्भ में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ में निवेदन है कि राजस्थान पत्रिका दिनांक 24.102018 में प्रकाशित समाचार शीर्षक "नशे के अवैध कारोबार की वजह से ही जिंदा हाईवें की होटलें और ढाबें" के संबंध में व सीएम हेल्प लाईन 181 पर दर्ज परिवाद द्वारा ज्ञानेश कुमार द्वारा भी हाईवें की होटलों पर अवैध गतिविधियों का होना अंकित किया है एवं पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

उक्त परिवाद व न्यूट कंटिग के संबंध में निवेदन है कि वृत सांचोर के थाना चितलवाना व सांचोर के हल्का क्षेत्र से नेशनल हाईवें नं. 68 संचालित हो रहा है। उक्त हाईवें पर स्थित होटलों, ढाबों की प्रतिदिन संबंधित पुलिस थानों द्वारा गश्त व नाकाबंदी के दौरान चैकिग की जा रही हैं। संजीवनी योजना के रूप में किये गये नवाचार के दौरान भी हाईवें पर स्थित होटलों, ढाबों पर मन वृताधिकारी द्वारा भी कई बार दबीश देकर चैकिग की गई। थानाधिकारी चितलवाना व सांचोर को नियमित रूप हाईवें पर गश्त व चैकिग की जाकर अवैध गतिविधियां पाई जाती है तो विधि सम्मत कार्यवाही के निर्देश दिये गये। मन वृताधिकारी द्वारा भी समय समय पर गश्त के दौरान हाईवें पर स्थित होटलों, ढाबों की चैकिग की जा रही हैं। अवैध गतिविधियां पाई जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अत: जांच रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवामें सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(ओम प्रकाश उज्जवल)
पुलिस उप अधीक्षक
वृत सांचोर (जालोर)